बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या–9/उपा0/बीज (विविध) – 41/2015 1679 /कृ0, पटना, दिनांक–30/3/2016

प्रेषक,

प्रभु राम
निदेशक (प्रशासन) –सह– अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+) से परामर्शित।

विषय : **राज्य सरकार द्वारा धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य के उपर बोनस राशि की स्वीकृति के फलस्वरूप धान बीज उत्पादक किसानों को बोनस का लाभ देने हेतु बिहार राज्य बीज निगम को वर्ष 2014–15 के बकाया बोनस भुगतान हेतु वर्ष 2015–16 में 19799964.00 (एक करोड़ सनतानवें लाख निनानवें हजार नौ सौ चौंसठ) रू0 सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं इसके अधीन अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों के लिए 198000.00 रू0 (एक लाख अनठानवें हजार रू0) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश:– स्वीकृत।

निदेशानुसार, राज्य सरकार द्वारा धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य के उपर बोनस राशि की स्वीकृति के फलस्वरूप धान बीज उत्पादक किसानों को बोनस का लाभ देने हेतु बिहार राज्य बीज निगम को वर्ष 2014–15 के बकाया बोनस भुगतान हेतु वर्ष 2015–16 में 19799964.00 रू0 (एक करोड़ सनतानवें लाख निनानवें हजार नौ सौ चौंसठ रू0) सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं इसके अधीन अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों के लिए 198000.00 रू0 (एक लाख अनठानवें हजार रू0) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

1. राज्य में गुणवत्ता वाले बीज के उत्पादन के लिए बिहार राज्य बीज निगम के द्वारा सतत प्रयास किया जा रहा है। निगम के निबंधित बीज उत्पादक किसान तकनीकी मार्ग निर्देशन में बीज उत्पादन का कार्य करते है। निगम द्वारा उत्पादित बीज का क्रय किया जाता है। प्रसंस्करण के पश्चात अगले वर्ष यह बीज किसानों को उपलब्ध हो पाता है। बीज उत्पादन के प्रति किसानों को उन्मुख करने के लिए खाने के उपयोग में लाये जाने वाले धान की तुलना में बीज का अधिक मूल्य दिया जाता है। बीज के रूप क्रय की प्रक्रिया में प्रसंस्करण के दौरान नॉन सीड को अलग कर दिया जाता है तथा प्रसंस्कृत बीज की मात्रा के विरूद्ध बीज की दर से भुगतान किया जाता है एवं छँटनी की गई मात्रा पर न्यूनतम समर्थन मूल्य अथवा बाजार मूल्य पर भुगतान किया जाता है। सामान्य तौर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य अथवा बाजार मूल्य से 15–20 प्रतिशत अधिक मूल्य पर

बीज की क्रय की जाती है। वर्ष 2014 खरीफ में बीज की अधिप्राप्ति के लिए निगम द्वारा किस्म के अनुसार बीज अधिप्राप्ति का मूल्य निर्धारित किया गया है। निगम द्वारा वर्ष 2014 में बीज अधिप्राप्ति का न्यूनतम मूल्य 1610 रू0 प्रति क्वीं0 निर्धारित है। धान की अधिप्राप्ति मूल्य 1410 रू0 प्रति क्वीं0 के आधार पर उक्त दर निर्धारित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा धान के अधिप्राप्ति मूल्य के उपर 300/– रू0 प्रति क्वीं0 की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य देने हेतु निदेशित किया गया है। यह लाभ बीज उत्पादक किसानों को देने हेतु योजना प्रस्तावित है।

2. बिहार राज्य बीज निगम खरीफ 2014 में प्रसंस्कृत धान बीज 65999.88 क्वीं0 से संबंधित किसानों को 300/– रू0 प्रति क्वी0 की दर से बोनस की राशि उपलब्ध करायेगें। यह राशि बीज निगम को सहायक अनुदान के रूप में विमुक्त की जायेगी। बीज उत्पादक किसानों को बीज के लिए निगम द्वारा निर्धारित मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा घोषित बोनस की राशि भुगतान की जायेगी।

3. योजना के कार्यान्वयन में योजना लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यकतानुसार संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

4. निकासी हेतु स्वीकृत राशि 198000.00 रू0 (एक लाख अनठानवें हजार रू0) की निकासी मुख्य शीर्ष 2401– फसल कृषि–कर्म, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष–796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष–0140– बीज उत्पादन कार्यक्रम, विपत्र कोड– P2401007960140, राज्य योजना स्कीम कोड– AGR–5015, विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा में वर्ष 2015–16 में उपबंधित 198000.00 रू0 में से विकलनीय होगा। उपबंधित राशि तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त हुई है।

5. स्वीकृत राशि की निकासी कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा BTC-46 फार्म में सचिवालय कोषागार, पटना से कर बिहार राज्य बीज निगम के पी0एल0 खाता सं0– PLA 271 में हस्तांतरित किया जायेगा।

6. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.03.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 2063 वि0 दिनांक 11.03.16 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में सचिव, कृषि की स्वीकृति संचिका संख्या– 9/उपा0/बीज (विविध) –41/2015 के पृ0सं0– 21 /टि. पर दिनांक 30.3.16 को प्राप्त है।

7. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या– 7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– 9/उपा0/बीज (विविध)–41/2015 के पृ0सं0– 23 /टि0 पर दिनांक 30.3.16 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

30/3/16

(प्रभु राम)

निदेशक (प्रशासन) –सह– अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1679 /कृ0, पटना दिनांक– 30/3/ 2016

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले॰ एवं ह॰), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन) –सह– अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1679 /कृ0, पटना दिनांक– 30/3/ 2016

प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन) –सह– अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1679 /कृ0, पटना दिनांक– 30/3/ 2016

प्रतिलिपिः– सचिवालय कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन) –सह– अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1679 /कृ0, पटना दिनांक– 30/3/ 2016

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि विभाग के आप्त सचिव/ कृषि निदेशक/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम लि0, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/संयुक्त कृषि निदेशक (पाट), पूर्णिया/बजट/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी जिला प्रक्षेत्र प्रबंधक/सभी उप कृषि निदेशक, प्रक्षेत्र/योजना शाखा, सचिवालय एवं कृषि निदेशालय, कृषि विभाग, बिंहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन) –सह– अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1679 /कृ0, पटना दिनांक– 30/3/ 2016

प्रतिलिपिः– उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन) –सह– अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\New File Seed Report\Sanstion Order & Abantan\2015\BRBN Bonus.docx